न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0) बरेली।

उपस्थितः संदीपा यादव (एच.जे.एस.)
फौजदारी निगरानी संख्या– 288/2025
CNR No- UPBR01008866-2025

रमन कुमार पुत्र कस्तूरी लाल, निवासी ग्राम मण्डनपुर शुमाली, थाना बहेड़ी, जिला बरेली
..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार,
2. गौरव अरोरा पुत्र स्व0 जीवन लाल,
3. श्रीमती नीलम अरोरा पत्नी जीवन लाल,
4. कस्तूरी लाल पुत्र तुलसीराम,
5. अजीम अख्तर पुत्र जलीस अहमद
   समस्त निवासीगण ग्राम मण्डनपुर शुमाली, थाना बहेड़ी जिला बरेली।
6. मन्तशा पुत्र कफील अहमद व
7. फईम पुत्र जलीस अहमद,
   निवासीगण मो0 इस्लामनगर, थाना बहेड़ी, जिला बरेली ..... विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1. यह दाण्डिक निगरानी, न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहेड़ी बरेली द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0– 144/2024, रमन कुमार बनाम गौरव अरोरा आदि, के मामले में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2024 जिसके माध्यम से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दाण्डिक निगरानी विद्वान सत्र न्यायाधीश बरेली, के न्यायालय में प्रस्तुत होकर अंगीकृत एवं पंजीकृत की गई। तदोपरान्त इस न्यायालय में विधिक रूप से निस्तारण हेतु अन्तरित की गई।

2. आलोच्य आदेश से व्यथित होकर रिजीवनकर्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी दाखिल की गई जिसमें संक्षेप में कथन इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि व तथ्यों के विपरीत कानूनन गलत है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने सगे भाई जीवन लाल अरोरा से दि0 18.01.2018 को गाटा सं0 207 ग्राम मण्डनपुर शुमाली तहसील बहेडी, जिला बरेली की कृषि योग्य भूमि 13बीघा अपनी पुत्री नताशा आरोरा व भतीजी श्यामली अरोरा के नाम से खरीदी थी, बैनामे के वक्त से उक्त जमीन पर निगरानीकर्ता की बेटी व भतीजी का नाम दर्ज था। जीवन लाल की मृत्यु होने के पश्चात उनके लड़के गौरव व उनकी पत्नी नीलम द्वारा कूटरचना व कूटकरण करके फर्जी रूप से खतौनी मे अपना नाम दर्ज कराया, जिसकी जानकारी होने पर निगरानीकर्ता द्वारा राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम खारिज कराया। गौरव अरोरा व उनकी मॉ नीलम अरोरा द्वारा निगरानीकर्ता की पुत्री व भतीजी के नाम की जमीन जो जरिये बैनामा खरीदी थी, फर्जी कागजात के जरिये भू–माफिया जलीस अहमद से साझ करके दि0 08.04.2024 को मन्तशा, अजीम अख्तर, फईम अख्तर के नाम मे बैनामा यह जानते हुये कि जमीन की मालिक नताशा व श्यामली है, के बाबजूद बेच दी और जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने के लिए दि0 30.05.2024 को दिन के 11 बजे जमीन पर चढ़ आये और कहा कि

हमने बैनामा करा लिया है जान से मारने की धमकी दी और फर्जी बैनामे के आधार पर कब्जा करना चाहते। पुलिस द्वारा मुकदमा न दर्ज होने के कारण से निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र इस आधार पर निरस्त किया कि अपराधिक मामला नहीं बनता है, मामला पूर्ण रूप से सिविल प्रकृति का है, कहते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया। माननीय उच्च व उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहाँ पर किसी कि साथ छल, कूट रचना व कूटकरण करके फर्जी दस्तावेज तैयार करना और फर्जी दस्तावेजों को असल के रूप में इस्तेमाल करना, बलपूर्वक कब्जा करने से संज्ञेय अपराध का गठन हो रहा है और न्यायालय को मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना का आदेश किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय उच्च व उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं को अन्देखा करके अपने विधि ज्ञान का इस्तेमाल किये बगैर प्रार्थनापत्र निरस्त किया, जो विधि व तथ्यो के विपरीत कानूनन गलत व निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को भी अन्देखा किया कि बैनामा निगरानीकर्ता की लड़की व भतीजी के नाम वर्ष 2018 में हो चुका है और वर्ष 2024 में इसी जमीन का बैनामा मृतक के लड़के व पत्नी से साज करके भू–माफिओं के द्वारा कूट रचना व कूटकरण के निगरानीकर्ता को धोखा देने की गरज से कर रहे और अवैध कब्जा कर रहे, जो विधि व तथ्यो के विपरीत कानूनन गलत है। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 09.07.2024 निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

3. विपक्षी सं0–6 मन्तशा न्यायालय उपस्थित होकर द्वारा अधिवक्ता नकलें दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय द्वारा विपक्षी को नकलें प्रदान की गई किन्तु विपक्षीगण 2 ता 6 की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

4. निगरानीकर्ता/आवेदक रमन अरोरा द्वारा धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त कथन इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रमन कुमार पुत्र श्री कस्तूरी लाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी निवासी ग्राम मण्डनपुर शुमाली थाना बहेड़ी जिला बरेली का है प्रार्थी ने अपने सगे भाई जीवन लाल अरोरा से दिनांक 18.01.2018 को गाटा सं0 207 ग्राम मण्डनपुर शुमाली तहसील बहेड़ी की कृषि भूमि 13 बीघा अपनी पुत्री नताशा अरोरा व अपनी भतीजी श्यामली अरोरा पुत्री श्याम सुन्दर निवासी ग्राम मण्डनपुर शुमाली क्रय की थी वैनामा के वक्त से जोतते बोते आ रहे हैं जीवनलाल उक्त ने 13 वीघा पूर्व में खरीदी थी और 13 बीघा ही बेच दी राजस्व कार्यालय की भूल से 207 मि0 रकवा 0.6320 हे0 पर प्रार्थी की पुत्री व भतीजी का नाम कागजातो में दर्ज होने से रह गया था कुछ समय बाद जीवन लाल की मृत्यू हो गयी जीवन लाल के पुत्र अभियुक्त नं0 1 गौरव अरोरा व उसकी पत्नी अभियुक्त नं0 02 नीलम अगेरा ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर अपना नाम खतौनी में दर्ज करा लिया प्रार्थी को जानकारी होने के बाद प्रार्थी ने फर्जी तरीके से दर्ज नाम अभियुक्त नं0 1 गौरव अरोरा व अभियुक्त नं0 02 नीलम अरोरा का नाम राजस्व रिकार्ड में खारिज करा दिया और जीवन लाल द्वारा किये गये वैनामा के आधार पर प्रार्थी की पुत्री नताशा अरोरा व भतीजी श्यामली अरोरा का नाम राजस्व रिकार्ड में दिनांक 08.04.2024 दर्ज करा दिया था गौरव अरोरा व उसकी मां नीलम अरोरा ने फर्जी कागज तैयार करके व धोखाधड़ी व चार सौ वीसी से भू:माफिया अभियुक्त जलीस अहमद के साथ एक राय मशविरा होकर प्रार्थी की बेटी नताशा व भतीजी श्मामली की भूमि स्थित ग्राम मण्डनपुर शुमाली का फर्जी कागजातो के आधार पर वैनामा अभियुक्त नं0 03 मन्तशा पुत्री कफील अहमद व अभियुक्त नं0 04 अजीम अख्तर पुत्र जलीस अहमद व फईम अख्तर पुत्र ज0 जिलीस अहमद

निवासी मो0 इस्लामनगर कस्बा बहेड़ी के हक में करवा दिया उक्त क्रेतागण बहुत बड़े भू :साफिया है इन्होंने कई कालोनियों व कई आवादी व मकानों पर व प्लाटों व कोठियों के फर्जी बैनामे फर्जी कागजों के आधार पर कराये हैं। यह तमाम जमीनों आदि पर कब्जा बल पूर्वक करते हैं। विगत दिनांक 30.05.2024 को उक्त लोगों ने बदमाशो को लेकर दिन के 11 बजे बस्ती जमीन पर कब्जा करने आ गये और ऐलानियां बोले कि हमने इस जमीन का बैनामा करा लिया है जमीन खाली कर दो वरना तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे प्रार्थी का भतीजा केशव अरोरा व कई अन्य लोग मौके पर थे प्रार्थी ने उनसे कहा कि यह जमीन मेरी पुत्री व मेरी भतीजी की है इसका बैनामा कोई नहीं कर सकता है अभियुक्त व उसके साथी जान से मारने व जमीन खाली करने की धमकी दे गये हैं। प्रार्थी को तहसील में मुआयना कराने पर उक्त फर्जी वैनामा की जानकारी हुई प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31. 05.2024 को क्षेत्राधिकारी महोदय बहेड़ी व एक प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बहेड़ी में दिनांक 11.06.2024 को दिया था और जिलाधिकारी बरेली व श्रीमान आई0जी0 बरेली व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थना पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे है परन्तु कोई भी कार्यवाही अभियुक्तगणों के विरूद्ध नहीं हुई है। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज किये जाने के आदेश प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली बहेड़ी को दिये जाये।

5. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2024 में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों एवं उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन उपरान्त प्रकरण में कोई संज्ञेय अपराध कारित होना दर्शित नहीं है। चूंकि उक्त प्रकरण सिविल प्रकृति का है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

7. निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत फौजदारी निगरानी के निस्तारण के लिए मुख्य अवधार्य बिन्दु यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 09.07.2024 के निस्तारण में शुद्धता, वैधता, औचित्यता, कार्यवाही की नियमितता अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी किसी त्रुटि के आधार पर हस्तक्षेप किया जाना संभव है अथवा नहीं।

8. **धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0** में यह अवधारित किया गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट अन्तर्गत धारा– 210 में उपरोक्त प्रकार से सशक्त किये जाने पर पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण करने का आदेश कर सकती है।

विधि व्यवस्था **2008 क्रिमिनल लॉ जनरल 427**, **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य ए0सी0सी0 2007 (59) पेज 739** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष यह प्रश्न संदर्भित किया गया कि क्या प्रत्येक **धारा– 156(3)दं0सं0,** वर्तमान में **धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0** के मामले जिसमें संज्ञेय अपराध कारित होना हो रहा है, में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश पारित करने के लिए सक्षम है अथवा अपने क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करते हुए **धारा– 156(3)दं0सं0,** वर्तमान में **धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0,** को परिवाद में परिवर्तित कर सकता है अथवा उसे उचित दशा में निरस्त कर सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट **धारा– 156(3)दं0सं0,** वर्तमान में **धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0** में विवेचना का आदेश पारित करने के लिए वाध्य नहीं है। मजिस्ट्रेट **धारा– 156(3)दं0सं0, धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0,** के प्रार्थना पत्र को परिवाद में परिवर्तित कर सकता है या उसे निरस्त भी कर सकता है।

9. उपरोक्त समस्त विवेचना से स्पष्ट है कि न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहेड़ी बरेली के द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **धारा–156(3) दं0प्र0सं0** खारिज करते हुए आलोच्य आदेश दिनांकित 09.07.2024 में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण सिविल प्रकृति का है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **विनय त्यागी बनाम इन्तजार अली (2013) 5, एस.सी.सी. पेज 762** एवं **शक्ति कपूर बनाम रमेश चन्द्र आदि (2012)9, एस.सी.सी. पेज 466** में इस आशय का मत व्यक्त किया गया है कि निगरानी का क्षेत्राधिकार विधि के प्रश्न पर ही प्रयोग में लाना चाहिए न कि तथ्य के प्रश्न पर। तथ्य के संबंध में इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में अवैधानिकता हो। न्यायालय की शक्ति का प्रयोग न्याय की मंशा की पूर्ति के लिए तथा इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया का दुरूपयोग न किया जा रहा हो, मात्र संदेह के आधार पर ऐसे मामले में हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि **धारा–156(3) दं0प्र0सं0** के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग सजगता से करना चाहिए।

10. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य** व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **राम बाबू गुप्ता बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य 2002(2) जे0आई0सी0 231 इलाहाबाद** एवं **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य ए0सी0सी0 2007 (59) पेज 739** में विधिक सिद्वान्तों के आलोक में निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने में कोई अनियमितता व अवैधानिक त्रुटि विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की गई है और न ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है।

11. अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2024 में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि सम्मत एवं तर्क संगत है। अतः उपरोक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता/प्रार्थी रमन कुमार द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहेड़ी बरेली द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 09.07.2024 पुष्टि किया जाता है। आदेश की एक प्रति अविलम्ब सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाय।

निगरानी न्यायालय की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(संदीपा यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/
विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0(यू0पी0एस0ई0बी0)
बरेली।
ID-UP-6423

दिनांकः08.06.2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(संदीपा यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/
विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0(यू0पी0एस0ई0बी0)
बरेली।
ID-UP-6423

दिनांकः08.06.2026

Digitally signed by SANDEEPA YADAV
Date: 2026.06.20 14:12:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court